2018
000070

D006/18 सिनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
D006/18	136 LRA	सिनाम	

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
दुर्गाशंकर	बनाम	राज्य सरकार

वकील :- अभिषेक भारद्वाज

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
7/3/18	रिपोर्ट सीमाज्ञान के अनुसार दर्ज रजिस्टर किया जाय प्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किये जावें पत्रावली वास्ते 27/3/18 पेश हो उप खण्ड अधिकारी बारां पीठासीन अधिकारी ... उपलब्ध ... काम में रहने से ... दिनांक 12.4.18 को प्रस्तुत हो। 12.4.18 पीठासीन अधिकारी ... काम में रहने से ... दिनांक 23-5-18 को प्रस्तुत हो। उप खण्ड अधिकारी बारां प्रार्थी व उसके वकील उप0/अ0पक्षी उप0/अनु0 ... को लगातार अदालत में रखा ... है। अतः प्रकरण ... में रखा जाता है। ... को नोटिस जारी हो कर दिनांक 23-7-18 को अदालत के समक्ष उपस्थित हो। उप खण्ड अधिकारी बारां 23/7/18 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी उपस्थित ... पेशी का वक्त दिया जाता है ... पत्रावली 12/9/18 पेश हो उप खण्ड अधिकारी बारां 12.9.18 पीठासीन अधिकारी ... बाढ़ ... कार्य में रहने से पूर्व दिनांक 25.10.18 को प्रस्तुत हो। उप खण्ड अधिकारी बारां 25.10.18 पीठासीन अधिकारी ... चुनाव कार्य में ... को 30/11/18	27/3/18 12.4.18 23.5.18 23/7/18

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां

उनवान

दुर्गाशंकर बनाम राज0 सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D006 / 18 दायरा तिथि :– 07.03.2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। नक्शा दुरूस्ती के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां उपखण्ड अधिकारी बाराँ	